

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी-आम्हाद निवृत्ति सोमनाथ (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या
376/2024

दायर दिनांक
26.06.2024

निर्णय दिनांक
15.07.2024

1. उदयलाल पुत्र श्रीराम रेगर उम्र वयस्क निवासी रीछड़ा तहसील व जिला भीलवाड़ा

बनाम

प्रार्थी

1. ऊंकार पुत्र गोकल बैरवा उम्र वयस्क निवासी रीछड़ा तहसील व जिला भीलवाड़ा
2. नानूराम श्रीराम रेगर उम्र वयस्क निवासी रीछड़ा तहसील व जिला भीलवाड़ा
3. लाडू पत्नि स्व मांगू बैरवा उम्र वयस्क निवासी रीछड़ा तहसील व जिला भीलवाड़ा
4. कमला पुत्री रामचन्द्र खाती उम्र वयस्क निवासी रीछड़ा तहसील व जिला भीलवाड़ा
5. गोपाल पुत्र रामचन्द्र खाती उम्र वयस्क निवासी रीछड़ा तहसील व जिला भीलवाड़ा
6. माया पुत्री रामचन्द्र खाती उम्र वयस्क निवासी रीछड़ा तहसील व जिला भीलवाड़ा
7. रामकिशन पुत्र रामचन्द्र खाती उम्र वयस्क निवासी रीछड़ा तहसील व जिला भीलवाड़ा
8. नारायण पुत्र नन्दा खाती रामचन्द्र खाती उम्र वयस्क निवासी रीछड़ा तहसील व जिला भीलवाड़ा
9. रतन पुत्र नन्दा खाती रामचन्द्र खाती उम्र वयस्क निवासी रीछड़ा तहसील व जिला भीलवाड़ा
10. राजस्थान राज्य तहसीलदार भीलवाड़ा तहसील व जिला भीलवाड़ा


—विपक्षीगण

उपस्थित:—अधिवक्ता प्रार्थी चितरजन पांडे
अप्रार्थी संख्या 01 से लगायत 09 उपस्थित नहीं

—: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 राज0 भू-राजस्व अधिनियम :-

—: निर्णय :-

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी ने अप्रार्थीगण के विरुद्ध प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 राज0 भू राजस्व अधिनियम, 1956 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा रीछड़ा प0ह0 रीछड़ा भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र महुआकलां तहसील व जिला भीलवाड़ा की जमाबन्दी संवत् 2069-2073 के खाता संख्या 76 की अभिलिखित आराजियात 1790/1 कुल किता 1 कुल रकबा 0.3161 हैक्टेयर भूमि प्रार्थी की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की है और अप्रार्थीगण जैर-बहस के पडौसी खातेदारान है। प्रार्थी एवं विपक्षीगण की आराजियात के बीच कोई स्थाई सीमा चिन्ह नही होने के कारण विवाद होता रहता है। अतः प्रार्थी खातेदारी आराजियात की मौके पर अभिलेख अनुसार नपती की जांकर मौके पर स्थाई सीमा चिन्ह स्थापित कराना चाहता है। प्रार्थी वर्णित भूमि के खातेदार काश्तकार है।



उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा

इस पर प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये लंब किया गया। अप्रार्थी संख्या 01 से लगायत 09 उपस्थित नहीं। प्रार्थी अधिवक्ता वकील प्रार्थी द्वारा प्रकरण का निस्तारण आज ही किये जाने की इशतदुआ की गई। वकील प्रार्थी द्वारा निवेदन किया गया कि मामला पत्थरगढी का है व प्रार्थी अपनी पत्थरगढी कराना चाहते है। हमने प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया। चिंतन मनन एवं पत्रावली को वास्ते आदेश नियत किया गया।

हमने पत्रावली में प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत राजस्व अभिलेख नकल जमाबन्दी का अवलोकन किया गया। प्रकरण के तथ्यों व बहस पर मनन किया। प्रार्थीगण आराजियात जैरबहस के खातेदार काश्तकार होकर इन्हे आराजियात जैर बहस की नपती करा सीमांकन (पत्थरगढी) कराने का अधिकार निहित है। उपर्युक्त विवेचन के क्रम में प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र में अंकित भूमि के खातेदार होने से सीमांकन (पत्थरगढी) कराने के अधिकारी होने से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 राज० भू राजस्व अधिनियम, 1956 स्वीकार किया जाता है।

तहसीलदार भीलवाडा को सीमांकन(पत्थरगढी) कराने का आदेश दिया जाता है कि मौजा रीछड़ा प०ह० रीछड़ा भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र महुआकलां तहसील व जिला भीलवाडा की जमाबन्दी संवत 2069-2073 के खाता संख्या 76 की अभिलिखित आराजियात 1790/1 कुल किता 1 कुल रकबा 0.3161 हैक्टेयर भूमि की पत्थरगढी कार्य संपादन से पूर्व फरिकेन मुकदमा को सूचित किया जावे। पत्थरगढी का आशय पक्षकारों की उपस्थिति में निशानात कायम करने पर से है। इस आदेश में किसी पक्ष की बेदखली व कब्जा देने की कार्यवाही नहीं की जाए तथा किसी न्यायालय का स्थगन न हो तो एवं मौके पर फसल खडी न हो तो बन्दोबस्ती नक्शे अनुसार नपती की जाकर सीमा चिन्ह स्थापित कर सीमांकन(पत्थरगढी) हेतु तहसीलदार भीलवाडा को 1000-00 अक्षरे एक हजार रुपये शुल्क पर मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाता है, कमिश्नरी शुल्क रिकार्ड विधिवत संधारित किया जाकर पालना रिपोर्ट मय पर्चा मौका आगामी 15 दिवस में आवश्यक रूप से पेश करे, तथा कमिश्नरी फीस प्रार्थीगण से मौके पर प्राप्त करे। तहसीलदार भीलवाडा को तहरीर जारी करे।

पत्रावली की निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार में भिजवाई जावे। निर्णय आज दिनांक 15.07.2024. को खुले न्यायालय में सुनाया गया।


(आब्हाद निवृत्ति सोमनाथ)
उपर्युक्त अधिकारी
भीलवाडा